212

Commr. (Plg.)-I's Office
Diary No. I-248
Date 21/2/13

अति० आयु० (योजना) एम०पी०आर०
डायरी नं० 933
दिनांक 22/2/13

MOST IMMEDIATE

Dy.No.763/2013-DD-I

भारत सरकार/Government of India

शहरी विकास मंत्रालय /Ministry of Urban Development

निर्माण भवन/Nirman Bhavan

नई दिल्ली/New Delhi

Dated 18th February, 2013

OFFICE OF THE DIR (Plg.)
MPR/TC, D.D.A. N. DELHI-2
Dy.No. L-386
Dated 25-2-13

उपाध्यक्ष कार्यालय
डा० नं० 606-B
दिनांक 20/2/2013

To

The Vice Chairman,
Delhi Development Authority,
Vikas Sadan, INA,
New Delhi.

Com(Plg.) (in m/s)

Subject: Representation of Shri Anoop Singh Maan, Gen. Secretary, Delhi Dehat Vikas Manch regarding the change of land use in Lal Dora.

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of letter dated 6-2-13 received from Smt. Aruna, Councillor Alipur alongwith a representation dated 4-2-2013 from Delhi Dehat Vikas Munch (Regd.), Delhi on the subject cited above for taking an appropriate action and reply to the concerned under intimation to this Ministry.

Yours faithfully,

(Sunil Kumar)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel.No.23061681

Encl. as above

Copy for information to:

1. Smt. Aruna, Councillor, Ward No. 03, Alipur, Delhi-110036
2. Delhi Dehat Vikas Munch (Regd.), 51/1447, Alipur, Delhi-110036

Dir(MPR)

AD(PG)III

CO pl. update and scan 21/2/13

211

अरुणा
निगम पार्षद
वार्ड नं. 3, अलीपुर
सदस्य
1. विधि [illegible] समिति
2. विशेष (चिकित्सा सहायता एवं जन-स्वास्थ्य) समिति
3. तदर्थ (गलियों आदि का नामकरण एवं पुनर्नामकरण) समिति
4. तदर्थ (महिला कल्याण एवं बाल विकास) समिति
उत्तरी दिल्ली नगर निगम

क्रमांक ....

दिनांक 6/2/13

PS to UDM

आदरणीय श्री कमल नाथ जी,

सादर नमस्ते।

[illegible] श्री अनूप सिंह मान, जनरल सेक्रेटरी, दिल्ली देहात विकास मंच का आवेदन [illegible] लाल डोरा [illegible] लागू करने [illegible] आपके विचारार्थ हेतु प्रेषित कर रही हूं।

[illegible] 27 [illegible] [illegible] लागू [illegible] है। [illegible] लागू [illegible] दिल्ली [illegible] 27 जनवरी 2011 [illegible]

धन्यवाद, आदर सहित

आपकी शुभचिंतक

Smt. ARUNA
Councillor Alipur
Ward No. 03

श्री कमलनाथ जी,
केन्द्रीय मंत्री, शहरी विकास मंत्रालय,
भारत सरकार, [illegible] भवन,
नई दिल्ली।

210

Mob. No. : 9212580826

DELHI DEHAT VIKAS MUNCH (REGD.)

Regd. Office : 51/1447, Alipur, Delhi-110036

President :
Devi Singh Mann

Vice President :
Ram Kumar Rana
Narinder Bazad

Gen. Secretary :
Anoop Singh Mann

Jt. Secretary :
Jai Karan Rana
Yogesh Kumar

Legal Advisor :
Rohtash Singh Mahendra
(Advocate)

Treasurer :
Karambir Mann

Ref. No.

Dated 4/2/2013

सेवा में,

श्री कमल नाथ,
शहरी विकाश मंत्री,
भारत सरकार,
नई दिल्ली,

विषय :– गांवो के लाल डोरे में भवन निर्माण नियम लागू करने एवं लाल डोरे में जमीन का मिश्रित प्रयोग करने के बारे में।

आदरणीय महोदय,

सेवा में निवेदन यह है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 17/01/2011 की अधिसूचना के अनुसार दिल्ली के गांवो में लाल डोरे में भी भवन निर्माण नियम लागू कर दिये गये है। अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

1. उपरोक्त अधिसूचना की धारा 3 (ii) के अनुसार भवन नक्शों की स्वीकृति के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के समय स्वामित्व सम्बंधी दस्तावेज और अन्य शपथ-पत्र आदि भवन उपविधि के अनुरूप, स्थानीय निकाय की संतुष्टि के अनुसार होने चाहिए।

2. उपरोक्त के संदर्भ में कहना है कि जैसा कि सर्वविदित है कि दिल्ली के गांवों का लालडोरा सबसे पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा 1908-09 में निर्धारित किया था और उस वक्त पूरे गांव का खसरा नम्बर एक ही रखा गया था चूंकि शायद उस समय की सरकार ने ये नहीं सोचा था कि आजाद भारत में कभी गांवो में भी भवन निर्माण नियम लागू किए जायेंगे। चूंकि पूरे गांव का एक ही खसरा नम्बर है

क्रमश पेज 2

[illegible]

[illegible] है। [illegible] के [illegible] का सामना नहीं करना पड़ता है।

[illegible] चूंकि भारत की 70 प्रतिशत आबादी गांवों पर निर्भर है और गांवों में ही रहती है। चूंकि [illegible] का अधिक भी [illegible] है। [illegible] भूमिहीन [illegible] जुड़ा हुआ है [illegible] मकान, [illegible] कृषि कार्य को ध्यान में रख कर ही बनाना है [illegible] पशुओं का [illegible] के लिए भी स्थान की जरूरत पड़ती है इसलिए ग्रामवासियों के मकान [illegible] अधिसूचना के अनुसार बन ही नहीं सकते। गांव में भूमिहीनों के मकान जो खेतिहर मजदूर होते हैं वे भी अपने मकान अधिसूचना के नियम और स्थानीय निकाय के नियमों के अनुसार बना ही नहीं सकते।

[illegible] कहना अनुचित नहीं होगा कि दिनांक 20 मार्च 2012 के "दैनिक जागरण" में छपी खबर के अनुसार भारत की 40 करोड़ जनता की आबादी गरीब है और जैसा की सबको मालूम है ज्यादातर गरीब गांवों में किसान और खेतिहर मजदूर के रूप में रहते हैं।

क्रमशः पेज 5

[illegible]

[illegible] नहीं [illegible] क्योंकि [illegible]

[illegible]

में बहुत सारी ही व्यक्तिगत संपत्ति की अधिकता [illegible]

सकते हैं। इस प्रकार से [illegible] मकान [illegible] में

[illegible] भी [illegible] किसान [illegible] के अनुसार नहीं बना सकती।

• जैसा कि सभी जानते हैं कि दिल्ली के गांव की खेती योग्य ज़मीन का अधिकतर [illegible] द्वारा [illegible] है और दिल्ली सरकार एक तरह से अधिग्रहण कर चुकी है कि [illegible] रहा है इसी [illegible] की भूमि का [illegible] द्वारा [illegible] कामों के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है इसलिए गांव में बसे किसान और खेती पर मजदूर बिना [illegible] हो रहे हैं [illegible] अपना जीवन यापन की समस्या मुंह बाये खड़ी है, गांव की अधिकतर [illegible] को खून की रोटी खिलानी मुश्किल है और इनमें से अधिकतर खेत मजदूर लोग ही हैं। सरकार नहीं चाहती कि इनके गरीब मजदूर किसान जनता सुखी और समृद्ध रहे।

क्रमशः पेज 4

[illegible]

[illegible] निवारण तंत्र की विशेष आवश्यकता है।

6. हम फिर भवन निर्माण नियम के बारे में कहना चाहेंगे कि कई छोटी नवयुक्त [illegible] के [illegible] आदि [illegible] में मिल जाया करती हैं तो क्या उनके [illegible] इतना कठिन है कि उनको [illegible] आदि के [illegible] को तत्काल प्रभाव से बना दें, [illegible] हेतु [illegible] का तात्पर्य यह है कि [illegible] भवन निर्माण नियम [illegible] [illegible] अत्यंत [illegible] है।

उपरोक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारा अनुरोध है कि

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की दिनांक 17 जनवरी 2011 की अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त [illegible] सुनिश्चित किया जाए [illegible] [illegible] न हो।

क्रमशः पेज 5

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] होगी।

धन्यवाद

भवदीय

For Delhi Dehat Vikas Manch (Regd.)
51/1447, Village Alipur, Delhi-110036

[signature] 11/8/2013

Gen. Secretary

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

205

भारत का राजपत्र

सत्यमेव जयते

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 17, 2011/पौष 27, 1932

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 17, 2011/PAUSA 27, 1932

दिल्ली विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, [illegible]

[illegible]

[illegible] अनुमोदित [illegible]

xi) [illegible] जल संरक्षण [illegible] अन्तर्गत निर्धारित हैं, [illegible] भाग-3 [illegible] 22.4 [illegible]

xii) भवन मालिक संरचनात्मक सुरक्षा [illegible] बी आई एस अथवा भवन [illegible] के प्रावधान के अनुसार [illegible] संरचनात्मक सुरक्षा को भी सुनिश्चित [illegible] खंड 10 को देखें) ।

xiii) [illegible] अपेक्षाएं अधिसूचना [illegible] (भाग) दिनांक 28.08.20[illegible]

4. आवेदन -

आवश्यक दस्तावेजों सहित [illegible] और निर्धारित शुल्क संबंधित [illegible]

5. अन्य शर्तें -

i) इन विनियमों को [illegible]-2021 [illegible] जाएं और यदि कोई [illegible] माने जाएंगे ।

ii) संबंधित स्थानीय निकाय एवं [illegible] उपभोक्ता-अनुकूल मानक संचालन प्रक्रिया [illegible] विनियमों के अनुसार आवेदन [illegible] की सूची, शुल्क/प्रभार, आवेदन की प्रक्रिया [illegible] और कार्यविधि तथा अन्य विभागों की भूमिका आदि [illegible] ।

iii) ये विनियम [illegible] द्वारा [illegible] कालोनियों पर लागू नहीं होंगे ।

[illegible] 2008 [illegible] पी. पार्टी ।

[illegible] आयुक्त एवं सचिव